



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 26, शुक्रवार, शाके 1945-जून 16, 2023  
Jyaistha 26, Friday, Saka 1945- June 16, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि (गुप-2) विभाग

आज्ञा

जयपुर, मई 24, 2023

संख्या प. 8(1)विधि-2/विरसं.(64)/2015 पार्ट/81 :- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय क्षेत्र मुख्यालय जयपुर महानगर-II पर जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (पूर्णकालिक अध्यक्ष) स्थापित करने एवं स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर का नाम स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर-I किया जाता है।

मुख्यालय जयपुर महानगर-II के लिए स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद के सृजन की सहमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है:-

1. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
2. स्थायी लोक अदालत में नियुक्त अध्यक्ष के वेतन भत्तों का भुगतान The permanent Lok Adalat (Other terms and conditions of appointment of Chairman and other person) rules, 2003 के नियमों के अन्तर्गत समय समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार किया जायेगा।
3. इनका व्यय बजट मद 2235-02-104-03-00- (राज्यनिधि) मद से भारित होगा।

मुख्यालय जयपुर महानगर-II में संस्थापित होने वाली स्थायी लोक अदालत के कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित पद अन्य स्थायी लोक अदालतों में स्वीकृत पदों के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड-पे/पे-लेवल
----------	-------	----------------	------------------

1	आशुलिपिक	01	3600/L-10
2	रीडर	01	2800/L-8
3	कनिष्ठ सहायक	03	2400/L-5
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	1700/L-1

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102301305 दिनांक 23.05.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

गिरिजेश कुमार ओझा,  
विशिष्ट शासन सचिव,  
विधि (वि.र.सं)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।